चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 18.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में आयोजित शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया।
परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, चुस्त-दुरुस्त एवं ड्यूटी के प्रति सदैव तत्पर रहने हेतु विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से परेड में सम्मिलित अधिकारी/कर्मचारीगण से दौड़ भी कराई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता एवं कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा ड्रिल का अभ्यास कराया गया।
इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थानों से आए चार पहिया/दो पहिया वाहनों, डायल-112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे अन्य वाहनों का निरीक्षण कर वाहनों की स्थिति का जायजा लिया गया। प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों में पाई गई कमियों को तत्काल दूर कराने तथा वाहनों के उचित रख-रखाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा डायल-112 कार्यालय, आवासीय परिसर, बैरक, सीपीसी कैंटीन, मंदिर, भोजनालय एवं आर्मरी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों आदि का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कर्मचारियों का अर्दली रूम कर उनकी समस्याओं/शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 दशरथ सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुन्दरलाल कोल पुत्र शिवलाल कोल निवासी डोडामाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट उम्र 62 वर्ष को 18 अदद अवैध मस्तीहू ब्राण्ड शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री दशरथ सिंह
2.मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार

(4). आज दिनाँक 18.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली

कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर एवं उनकी टीम द्वारा आबकारी पुलिस टीम पर हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.जानकी निषाद पुत्र देशराज निवासी लोहसरियन थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 उम्र करीब 43 वर्ष

2.सुख्खू निषाद पुत्र देशराज निवासी लोहसरियन थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.09.2026 को आबकारी निरीक्षक श्री प्रणव कुमार पाण्डेय द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 14.09.2026 को समय करीब 18.10 बजे आबकारी टीम शराब निष्कर्षण तथा रोकथाम हेतु ग्राम डिलौरा के गढ़ीवा जाने वाले तिराहे पर पहुंची। जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मनोज की प्लांटिग के बगल में कुछ व्यक्तियों द्वारा कच्ची शराब बनायी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम रोकथाम हेतु पहुंची अभियुक्तगण 1.विजय निषाद पुत्र मोतीलाल 2.पुरषोत्तम उर्फ राजा पुत्र मुन्ना निषाद निवासीगण डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी 3.जानकी निषाद पुत्र देशराज 4. सुख्खु निषाद पुत्र देशराज 5. देशराज निषाद पुत्र बच्चन निषाद निवासीगण लुहसरिहन थाना नयांगाव(चित्रकूट) जनपद सतना व 09 से 10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा आबकारी निरीक्षक एवं उनकी टीम को एक राय होकर गाली गलौज एवं कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करते हुए लाठी डण्डे व लोहे की रॉड से मारपीट करना जिससे आबकारी सिपाही सागर के सर में गंभीर चोट आना तथा आबकारी सिपाही शिवसागर,लालचन्द्र व दीपक को भी चोटे आना तथा जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 553/26 धारा-191(2),132,121(1),121(2),115(2),352,351(3) बीएनएस बनाम 1.विजय निषाद पुत्र मोतीलाल 2.पुरषोत्तम उर्फ राजा पुत्र मुन्ना निषाद निवासीगण डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी 3.जानकी निषाद पुत्र देशराज 4. सुख्खु निषाद पुत्र देशराज 5. देशराज निषाद पुत्र बच्चन निषाद निवासीगण लुहसरिहन थाना नयांगाव (चित्रकूट) जनपद सतना व 09 से 10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचक उपर्युक्त द्वारा विवेचना से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 109(1) व 7 सीएलए एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

आज दिनाँक 18.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.जानकी निषाद पुत्र देशराज निवासी लोहसरियन थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 उम्र करीब 43 वर्ष 2.सुख्खू निषाद पुत्र देशराज निवासी लोहसरियन थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम डिलौरा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर

2.आरक्षी रविशंकर

3.आरक्षी अजय वर्मा

4.आरक्षी राहुल पाण्डेय

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवार को टूटने से बचाया ।

(1). प्रथम पक्ष आवेदक दादूराम थाना क्षेत्र कर्वी द्वारा द्वितीय पक्ष अपनी पत्नी के विरूद्ध मायके से घर न आने,अनावश्यक परेशान करने (2).प्रथम पक्ष आवेदिका श्रीमती दिव्या चतुर्वेदी द्वारा द्वितीय पक्ष पति संदीप चतुर्वेदी के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट,गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस

अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह एवं आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार,प्रभारी मानिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 18.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2023 धारा 498ए,306 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भोला यादव पुत्र शिवनरेश यादव निवासी ग्राम मीर्जापुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2023 को वादी श्री रामलखन द्वारा सूचना दिया गया था कि अभियुक्त उपर्युक्त द्वारा वादी की बहन निर्मला से अतिरिक्त दहेज की मांग करना,दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना तथा जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मार देना। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 37/2023 धारा 498ए,304बी,302 भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गई। तथा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 12.06.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी मऊ श्री श्रीप्रकाश,पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा की गयी गहन पैरवी,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 18.09.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 194/25 धारा 105,115(2),324(5) बीएनएस

के आरोपी अभियुक्त उस्मान अली पुत्र शहजाद अली निवासी ग्राम मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2025 को वादी रामविलास पुत्र गंगा प्रसाद निवासी मरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई की अज्ञात ट्रक चालक द्वारा जोरवारा टोल के पास जान से मारने की नीयत से उनके नाती शिवम शुक्ला एवं उसके साथियों को टक्कर मार दी जिससे शिवम शुक्ला की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 194/25 धारा 105,110,324(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचक तत्कालीन निरीक्षक श्री दुर्ग विजय सिंह द्वारा विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त उस्मान अली उपरोक्त को दिनाँक 04.07.2025 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 31.07.2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). आज दिनाँक 18.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा थाना राजापुर का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।